

2010-10-22

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
नत्रालय

दल्लम भवन, भापाल-462004

क्रमांक एक 73-38/2010/20-3

भापाल, दिनांक

प्रति,

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल,
प्रीत विहार, नई दिल्ली।

विषय - अशासकीय शिक्षण संस्था प्राइम अकॅडमी, राजपुर, जिला, बड़वानी,
(म०प्र०) को सीबीएसई, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति
प्रमाण-पत्र देने के संबंध में।

—0000—

राज्य शासन द्वारा विधायकित संस्था द्वारा आवेदन पत्र एवं शपथ
पत्र के आधार पर संस्था को सीबीएसई से सम्बद्धता हेतु यह अनापत्ति
प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है :-

- (1) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने
के उपरांत भी संस्था / समिति द्वारा मध्य शासन एवं लोक शिक्षण
संचालनालय द्वारा समय-समय पर शिक्षा के प्रबंध एवं विकास के
संबंध में जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- (2) संस्था की प्रबंध कारिणी समिति में जिला शिक्षा अधिकारी,
बड़वानी (म०प्र०) अथवा उनका एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी
में सम्मिलित करना होगा।
- (3) शिक्षण संस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए
निर्देशों के अनुसार क्रियाशील अग्नि शमन यंत्रों की आवश्यक
रूप से व्यवस्था होगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा
शैक्षणिक संस्था के संबंध में समय-समय पर जारी किए जाने
वाले निर्देशों का पालन संस्था को करना होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सीबी प्रहवार)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

2-47/1002

पृष्ठ संख्या एक क्रमांक एक 73-38 2017/20-3

भाषालेखनांक 26/9/10

प्रतिनाम :-

1- सचिव अशासक शिअण सस्था प्राइम अकडमी रातपुर जिला बडवानी (म0प्र0) का सीबीएसई से सम्बद्धता मान्यता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिनांक शर्तों पर प्रदान की जाती है -

- (1) सस्था सीबीएसई के अनुरूप मापदण्डों की पूर्ति करती है अथवा नहीं, इसका परीक्षण केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा किया जायेगा।
- (2) सस्था द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु राज्य शासन का प्रस्तुत आवेदन पत्र या शपथ-पत्र में दी गई जानकारी गलत पाये जाने पर या उसका पालन नहीं करने पर अथवा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर या प्राप्त शिकायत जांच में सही पाये जाने पर राज्य शासन द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

1- आयुक्त, लोक शिक्षण भाषालेखनांक, ।

2- जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बडवानी, म0प्र0।

3- ऑर्डर बुक ।

Bardwari

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

26/9/10